

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
ANDHERI (EAST)
MUMBAI - 400 096.

F.NO. SEEPZ SEZ/LAB/505/2016 -17/02.888

Dated: 08/02/2017

9/02/2017

CIRCULAR NO. /LAB/ 12 /2016-17

In accordance with the powers delegated to the Development Commissioner of SEZ by the Govt. of Maharashtra, under the Minimum Wages Act, 1948 the jurisdiction in respect of units in SEZs for implementation as well as for taking necessary action for violation, if any, are with this office. As on date, the minimum wages applicable to the un-skilled, semi-skilled and skilled workers/employees in the SEEPZ (Electronics) and Gems and Jewellery Sectors are as mentioned below:- (Special Allowance revised for the period of 01/01/2017 to 30/06/2017)

1. Gem & Jewellery Units:-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wage	Rs. 5500.00	Rs. 5000.00	Rs. 4500.00
Special Allowance	Rs. 3533.25	Rs. 3533.25	Rs. 3533.25
Total	Rs. 9033.25	Rs. 8533.25	Rs. 8033.25
HRA (5%)	Rs. 451.67	Rs. 426.67	Rs. 401.67
Minimum Wages	Rs. 9484.92	Rs. 8959.92	Rs. 8434.92

2. Bombay Shops and Establishment:-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 5800.00	Rs. 5400.00	Rs. 5000.00
Special Allowance	Rs. 3256.20	Rs. 3256.20	Rs. 3256.20
Total	Rs. 9056.20	Rs. 8656.20	Rs. 8256.20
HRA (5%)	Rs. 452.81	Rs. 432.81	Rs. 412.81
Minimum Wages	Rs. 9509.01	Rs. 9089.01	Rs. 8669.01

3. SEEPZ (Electronics) :-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 6300.00	Rs. 5800.00	Rs. 5300.00
Special Allowance	Rs. 3628.50	Rs. 3628.50	Rs. 3628.50
Total	Rs. 9928.50	Rs. 9428.50	Rs. 8928.50
HRA (5%)	Rs. 496.42	Rs. 471.42	Rs. 446.42
Minimum Wages	Rs. 10424.92	Rs. 9899.92	Rs. 9374.92

The Special Allowance is revised twice in a year i.e. with effect from 1st January and 1st July by the appropriate authority in the Labour Department of the Govt. of Maharashtra.

भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज-विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी(पूर्व), मुंबई-400 096.

सं.सीपज-सेज/श्रम/505/2016-17/02888

दिनांक: 08/02/2017

08/02/2017

परिपत्र सं. श्रम / 12 /2016-17

विकास आयुक्त, सेज को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सेजों में स्थित यूनिटों के संबंध में उन पर लागू किए जाने तथा उनका उल्लंघन होने पर आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार इस कार्यालय को है। आज की तारीख में सीपज (इलेक्ट्रानिकस) तथा जेम तथा ज्वैलरी सेक्टरों में कार्यरत अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल कामगारों / कर्मचारियों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार है: (दिनांक 01/01/2017 से दिनांक 30/06/2017 तक की अवधि का संशोधित विशेष भत्ता)

1. जेम तथा ज्वैलरी यूनिट्स:-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 5500.00	रु. 5000.00	रु. 4500.00
विशेष भत्ता	रु. 3533.25	रु. 3533.25	रु. 3533.25
कुल	रु. 9033.25	रु. 8533.25	रु. 8033.25
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 451.67	रु. 426.67	रु. 401.67
न्यूनतम मजदूरी	रु. 9484.92	रु. 8959.92	रु. 8434.92

2. मुंबई टूकानें तथा प्रतिष्ठान:-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 5800.00	रु. 5400.00	रु. 5000.00
विशेष भत्ता	रु. 3256.20	रु. 3256.20	रु. 3256.20
कुल	रु. 9056.20	रु. 8656.20	रु. 8256.20
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 452.81	रु. 432.81	रु. 412.81
न्यूनतम मजदूरी	रु. 9509.01	रु. 9089.01	रु. 8669.01

3. सीपज (इलेक्ट्रानिकस) :-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 6300.00	रु. 5800.00	रु. 5300.00
विशेष भत्ता	रु. 3628.50	रु. 3628.50	रु. 3628.50
कुल	रु. 9928.50	रु. 9428.50	रु. 8928.50
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 496.42	रु. 471.42	रु. 446.42
न्यूनतम मजदूरी	रु. 10424.92	रु. 9899.92	रु. 9374.92

श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार - 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से विशेष भत्ता संशोधित किया जाता है।

The units are directed to ensure that no employee is deprived of the minimum wages at any point of time. The Zone Administration will be regularly verifying the records and registers to ensure payment of minimum wages by employers, by obtaining photo copies of payment register for specified period.



(V. P. Shukla)
Joint Development Commissioner
SEEPZ-SEZ

Encl.:- As above.

Copy to. :-

- (1) All the SEEPZ units.
- (2) The president, SEEPZ Gems & Jewellery Manufacturers Association, BFC Bldg.
- (3) Chairman, SEEMA, SEEPZ-SEZ, Mumbai.
- (4) The Regional Director, EPCES for 100% EOU & SEZ,
- (5) IT - Section – for uploading on website.

यूनिटों को निदेश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका कोई कर्मचारी किसी भी समय न्यूनतम मजदूरी से वंचित न रहे। जॉब प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोजताओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता रहे, निर्दिष्ट अवधि के भुगतान रजिस्ट्रों की फोटो कاپियां मंगाकर रिकार्डों तथा रजिस्ट्रों की जांच नियमित रूप से करवा रहेगा।



(वि. प्र. शुक्ल)

सयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ल-सेज

प्रतिलिपि : सभी सीप्ल-सेज यूनिटों को।

प्रतिलिपि:-

- 1) सीप्ल अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी यूनिट
- 2) प्रेसिडेंट, सीप्ल जेम्स तथा ज्वैलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, बीएफसी बिल्डिंग
- 3) चेयरमैन, सीमा, सीप्ल - सेज, मुंबई
- 4) क्षेत्रीय निदेशक 100% ईओयू तथा सेज के ईपीसीईएस
- 5) आईटी अनुभाग - वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए